संख्या-7/2020/564/36-2-2020-93(1)/2011

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2020**

विषय- उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित "निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना" में बोर्ड द्वारा पारित संशोधन प्रस्ताव दिनांक 07-01-2020 पर अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4701-02/भ0नि0बो0(90-बी), दिनांक 06-03-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित ''निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना'' के संबंध में बोर्ड की 43वीं बैठक दिनांक 07.01.2020 में हुए निर्णय के क्रम में ''निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना'' के वर्तमान व्यवस्था के प्रस्तर-1 योजना का नाम, प्रस्तर-2 योजना का उद्देश्य, प्रस्तर-3 पात्रता एवं प्रस्तर-4 हितलाभ में प्रस्तावित संशोधन पर अनापत्ति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

वर्तमान व्यवस्था	पारित संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
प्रस्तर-1 योजना का नाम- निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना। **प्रस्तर-2 योजना का उद्देश्य-** इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गम्भीर बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।	**प्रस्तर-1** योजना का नाम- निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना (यथावत)। **प्रस्तर-2 योजना का उद्देश्य-** इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में ऐसे अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक जो ''आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन-आरोग्य योजना'' तथा ''मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना'' में आच्छादित नहीं हो सकते हैं, की स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता/पिता को बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गम्भीर बीमारी की परिभाषा में निम्नलिखित बीमारियाँ सम्मिलित होंगी- 1. हृदय की शल्यक्रिया 2. गुर्दा का प्रत्यारोपण 3. लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण 4. मस्तिष्क की शल्यक्रिया 5. पैर के घुटने बदलना 6. कैंसर का इलाज 7. एस0आई0वी0 एड्स की बीमारी 8. आँख की शल्य क्रिया 9. पथरी की शल्यक्रिया 10. एपेन्डिक्स की शल्यक्रिया 11. हाइड्रोसील की शल्यक्रिया 12. महिलाओं में होने वाले स्तन कैन्सर की शल्यक्रिया 13. सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैन्सर की शल्यक्रिया शेष अन्य बीमारियों के लिये इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।	अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय अथवा ऐसे चिकित्सालयों जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन-आरोग्य योजना की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अथवा राज्य स्तर पर कार्यदायी संस्था **SACHIS (**State Agency For Comprehensive Health Insurance and Integrated Services**)** द्वारा अपने पैनल पर रखा गया है, में इलाज कराये जाने की दशा में ऐसी बीमारी पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना तथा/अथवा चिकित्सा/शल्यक्रिया आदि के सन्दर्भ में दिये गये चिकित्सालय द्वारा दिये गये इस्टीमेट के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सालय को अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाना है। बीमारी की परिभाषा में वह समस्त बीमारियाँ सम्मिलित होंगी जिन्हें ''आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना'' तथा ''मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना'' में आच्छादित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त, यदि किसी अन्य बीमारी को इस योजना के अन्तर्गत आवर्त किया जाना है तो सचिव, बोर्ड के युक्तिसंगत प्रस्ताव पर अध्यक्ष, बोर्ड शासन की अनापत्ति प्राप्त करते हुये इस योजना के अन्तर्गत ऐसी बीमारियों को जोड़ सकेगा एवं ऐसी जोड़ी गयी बीमारियों के सन्दर्भ में बोर्ड के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
प्रस्तर-3 पात्रता इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगें जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।	**प्रस्तर-3 पात्रता** इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगें जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक हैं तथा जो ''आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन-आरोग्य योजना'' तथा ''मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना'' में आच्छादित

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नहीं हो सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पंजीकृत कर्मकार तथा उसकी पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) तथा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियाँ एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता/पिता भी पात्रता की श्रेणी में आवर्त होगे।
प्रस्तर-4 हितलाभ (1) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा ऊपर बताई गयी स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/ अविवाहित पुत्री को गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त अग्रलिखित प्रक्रिया एवं नियमों के शर्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।	**प्रस्तर-4 हितलाभ** इस योजना में बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता/पिता को बीमारी की दशा में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय अथवा ऐसे चिकित्सालयों जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन-आरोग्य योजना की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अथवा राज्य स्तर पर कार्यदायी संस्था **SACHIS (**State Agency For Comprehensive Health Insurance and Integrated Services**)** द्वारा अपने पैनल पर रखा गया है, में इलाज कराये जाने की दशा में ऐसी बीमारी पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि ऐसी चिकित्सा/ शल्यक्रिया आदि के सन्दर्भ में सम्बन्धित चिकित्सालय के समक्ष चिकित्साधिकारी द्वारा बीमारी के इलाज के लिये कोई आगणन दिया जाता है, तो दिये गये आगणन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सालय को अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अग्रिम धनराशि प्राप्त करने वाला चिकित्सालय इलाज के उपरान्त सम्बन्धित लाभार्थी की चिकित्सा पर आने वाले वास्तविक व्यय का विस्तृत विवरण 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के कार्यालय में प्रेषित करेगा तथा ऐसे विवरण की प्राप्ति के उपरान्त क्षेत्रीय

http://shasanadesh.up.nic.in

	अपर/उप श्रमायुक्त सम्बन्धित चिकित्सालय को अन्तरधन की राशि का भुगतान करेगा तथा यदि कोई धनराशि इलाज के उपरान्त चिकित्सालय के पास शेष बच रही है, तो ऐसी धनराशि उक्त विवरण के साथ ही चिकित्सालय द्वारा क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय में रेखाँकित चेक/ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस प्रेषित कर दी जायेगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त ऐसी धनराशि को बोर्ड के योजना व्यय के खाते में जमा करायेंगे तथा ऐसी वापस प्राप्त धनराशि को अपने लेखा अभिलेखों में पुस्तकाँकित करते हुये इसकी सूचना बोर्ड कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायेंगें।

3- उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि कृपया पूर्व से संचालित **निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना** श्रमिकों में लोकप्रिय हो चुकी है इसलिए योजना का नाम यथावत ही रखते हुए सचिव, बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये शेष अन्य प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति दी जाती है कि बोर्ड उक्त योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 तथा संगत नियमावली-2009 का अनुपालन पात्र पंजीकृत ''भवन एवं अन्य सन्निर्माण'' श्रमिकों के हित में पूर्णतः सुनिश्चित करेगा। साथ ही इस संबंध में शासन द्वारा वर्तमान/भविष्य में कोई वित्तीय/आर्थिक मदद नहीं दी जायेगी। कृपया उक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2020/564/36 (1)/36-2-2020, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजीज अहमद
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in